उत्तराखण्ड शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग–2,
संख्याः ——/22–XIX–2/49 खाद्य/2020
देहरादूनः दिनांक 19 जुलाई, 2022

## अधिसूचना

श्री राज्यपाल, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 74(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एंव प्रदेश के समस्त जनपदों के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में एक–एक मध्यस्थता प्रकोष्ठ स्थापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(सचिन कुर्वे)
सचिव

संख्याः 645/22–XIX–2/49 खाद्य/2020, तद्दिनांकित
**प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3– संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6– आयुक्त, गढवाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
7– निबंधक, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग, नई दिल्ली।
8– आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
9– समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून।
10– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12– निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को 2022 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) में परिनियत आदेश में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
14– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रताप सिंह शाह)
अपर सचिव

AR UO 2021-22